भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3308

सोमवार, 16 दिसंबर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक)

नागालैंड में बेरोजगारी

3308. श्री एस. सुपोंगमेरेन जमीर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के संज्ञान में है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में नागालैंड में बेरोजगारी 65% से अधिक हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य में बेरोजगारी में इस उल्लेखनीय वृद्धि में योगदान देने वाले कारकों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार उक्त राज्य में बेरोजगारी संकट को कम करने के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जो 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण की अवधि हर साल जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, नागालैंड राज्य के लिए सामान्य स्थिति पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए रोजगार दर्शाने वाला अनुमानित श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2017-18 में 32.8% से बढ़कर 2023-24 में 68.1% हो गया है। इसी अवधि के दौरान, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर बेरोजगारी दर (यूआर) 21.4% से घटकर 7.1% हो गई है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है और यह एक बहु-हितधारक पहल है। तदनुसार, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा

गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) आदि कार्यान्वित कर रहे हैं, जो पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, सरकार ने बजट 2024-25 में 5 योजनाओं और पहलों संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की है, जिससे 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर प्रदान किए जा सकेंगे, जिसके लिए 2 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय परिव्यय होगा। इसमें बजट 2024-25 में घोषित रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना शामिल है, जिसके लिए 1,07,000 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है, जिसका उद्देश्य ईपीएफओ के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके रोजगार सृजन और कार्यबल का औपचारिकीकरण करना, रोजगार क्षमता को बढ़ाना और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है।

***